[2022] 5 एस. सी. आर 909

/

अंजु गर्ग और ए. एन. आर.

बनाम

दीपाक कुमार गर्ग

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1693) सितंबर 28,2022

/

[दिनेश माहेश्वरी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 125-पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश-आधार उद्देश्य यू/एस।125 – आयोजित किया गयाःएक महिला की पीड़ा, पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि उसे खुद को और बच्चों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके-पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाना पड़ता है, अगर वह एक सक्षम शरीर है, और कानूनी रूप से स्वीकार्य आधारों को छोड़कर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है-तथ्यों पर, पति द्वारा उत्पीड़न और क्रूरता के कारण पत्नी को अपने बच्चों के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, रखरखाव की मांग की।125 – उच्च न्यायालय ने कोई कारण बताए बिना, माँ और उसकी बेटी के भरण-पोषण आवेदन को खारिज करने वाले पारिवारिक न्यायालय के गलत और विकृत आदेश को बरकरार रखा-अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि पति के पास आय का पर्याप्त स्रोत था और वह सक्षम था, और पत्नी और अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में विफल रहा और उसकी उपेक्षा की थी-इसे देखते हुए, पत्नी को भरण-पोषण याचिका दायर करने की तारीख से प्रति माह 1,000 रुपये के भरण-पोषण भत्ते के अलावा 1,000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा। 6, 000/- परिवार न्यायालय द्वारा बेटे को प्रदान किया गया।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** आई**.** डी**. 1** दंड प्रक्रिया संहिता **125** की परिकल्पना एक महिला की पीड़ा**,** पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए की गई थी**,** जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है**,** ताकि उसे अपना और बच्चों का भरण**-**पोषण करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।तत्काल मामले में**,** परिवार न्यायालय ने विधि के मूल सिद्धांत की अवहेलना की थी कि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है।पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाना पड़ता है**,** अगर वह एक सक्षम शरीर है**,** और नहीं कर सकता है।

/

/

909 ए.

910 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

कानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमत आधारों को छोड़कर**,** अपने दायित्व से बचें।धारा **125** सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता लिए अधिनियमित है।यह भारत के संविधान के अनुच्छेद **39** द्वारा प्रबलित अनुच्छेद **15 (3)** के संवैधानिक दायरे में भी आता है।**[**पैरा **9** और **10] [914-**ई**-**एफ**; 916-**ई**-**जी**]**

/

1.2 परिवार न्यायालय के एक गलत और विकृत आदेश की दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही अनुचित आदेश पारित करके पुष्टि आक्षेपित थी।उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए आक्षेपित आदेश को बहुत ही लापरवाही से पारित कर दिया।यह न्यायालय मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज देता**,** हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला पिछले चार वर्षों से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है**,** और इसे वापस भेजने से कार्यवाही में और देरी होगी**,** इस न्यायालय ने इस आदेश को पारित करना उचित समझा।**[**पैरा **12] [917-**जी**-**एच**]**

/

/

1.3 न्यायालय न तो प्रतिवादी की इस दलील से प्रभावित है और न ही उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि उसका पार्टी व्यवसाय अब बंद हो गया है।प्रत्यर्थी एक सक्षम होने के नाते**,** वह वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का पालन**-**पोषण करने के लिए बाध्य है।परिवार न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी**-**पत्नी के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए**,** और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य को

ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि यद्यपि प्रतिवादी के पास आय का पर्याप्त स्रोत था और वह सक्षम था, लेकिन वह अपीलार्थी को बनाए रखने में विफल रहा और उसकी उपेक्षा की।तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी-पत्नी को प्रति माह **1,000** रुपये के रखरखाव भत्ते के अलावा **1,000** रुपये का रखरखाव भत्ता देना उचित है। **6, 000/-** परिवार न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सं**. 2-**बेटा।इस प्रकार**,** प्रत्यर्थी को रुपये की रखरखाव राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। **10, 000/-** प्रति माह अपीलार्थी-पत्नी को परिवार न्यायालय के समक्ष उसकी भरण-पोषण याचिका दायर करने की तारीख से।**[**पारस **13** और **14] [918-**ए-डी**]**

/

/

/

भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य। **(2015) 6** एससीसी

353 :[2014] 8 एससीआर **858;** चतुर्भुज बनाम सीता बाई **(2008) 2** एससीसी **316:[2007] 12** एससीआर **577-**पर निर्भर।

/

911

अंजु गर्ग और ए. एन. आर. बनामदीपाक कुमार गर्ग ए

/

संदर्भित निर्णय

[2014] 8 एससीआर **858**

पर विश्वास किया

पैरा **9**

[2007] 12 एससीआर **577**

पर विश्वास किया

पैरा **10**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1693।

/

2017 के आपराधिक संशोधन (एफ) संख्या 05 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 10.09.2018 के निर्णय और आदेश से।

संदीप जिंदल, ओम प्रकाश व्यास, सुश्री रचिता गर्ग, संदीप कुमार द्विवेदी, प्रदीप कुमार द्विवेदी, नीरज कुमार सिंह, अवधेश कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

दुष्यंत पाराशर, मनु पी., दिनेश पांडे, मुथु वेलपलानी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1) छुट्टी दे दी गई।

2) इसमें अपीलकर्ता प्रत्यर्थी की पत्नी और पुत्र हैं।वर्तमान अपील 10 सितंबर 2018 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक संशोधन संख्या 05/2017 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय -1, फरीदाबाद, हरियाणा (जिसे इसके बाद "परिवार न्यायालय " के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थियों द्वारा दायर संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया है।पारिवारिक न्यायालय ने दिनांक 09.12.2016 के आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा Cr.P.C की धारा 125 के अंतर्गत दायर रखरखाव याचिका को खारिज कर दिया था। 1-पत्नी (मूल आवेदक सं।1) और उनकी बेटी सुश्री मेघा गर्ग (मूल आवेदक सं।2), और पुत्र-अपीलार्थी सं. के आवेदन को अनुज्ञात थी। 2 (मूल आवेदक संख्या 3) उसे रु। 6, 000/- प्रति माह आवेदन दाखिल करने की तारीख से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।

/

/

/

3) वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी नं.1 और प्रतिवादी ने हिंदू संस्कारों के अनुसार 07.12.1991 पर शादी की थी और उक्त विवाह में से दो बच्चे यानी बेटी मेघा गर्ग और बेटा रचित गर्ग का जन्म 10.10.1992 और 11.04.1999 पर हुआ था।

/

/

[2022] 5 एस सी आर।

क्रमशः।अपीलार्थियों (मूल आवेदकों) ने दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत रखरखाव याचिका दायर की. प्रतिवादी से रखरखाव की मांग करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी अपीलार्थी-पत्नी को अत्यधिक क्रूरता और शारीरिक और मानसिक यातना दे रहा था।इसके परिणामस्वरूप, उन्हें बार-बार बच्चों के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा।प्रतिवादी के खिलाफ यह भी आरोप लगाया गया था कि वह रुपये की मांग कर रहा था। अपीलार्थी नं. के पिता से दहेज के रूप में एक करोड़।1. हालांकि, उसके पिता ने उसे एक लाख रुपये दिए थे। 2,00,000-2005 में, और रुपये का भुगतान भी किया था। 4,50,000-एक राजदीप सोन इंडस्ट्रीज को, ऋण का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी की ओर से, प्रतिवादी ने अपीलार्थी को परेशान करना जारी रखा था।अंततः, अपीलार्थी ने अपने बच्चों के साथ 2010 में वैवाहिक घर छोड़ दिया और किराये के परिसर में रहने लगी।अपीलार्थी-याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रत्यर्थी उन्हें बनाए रखने में विफल और उपेक्षित रहा था, और वे खुद को बनाए रखने में असमर्थ होने के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत रखरखाव याचिका दायर की गई थी।

/

/

4) उक्त याचिका को प्रतिवादी द्वारा जवाब दाखिल करके चुनौती दी गई थी।प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी सं. के साथ विवाह से इनकार नहीं किया।1, दहेज की मांग और उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया था।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वे अपीलार्थियों को बनाए रखने में विफल रहे और उपेक्षा की।उनके अनुसार, अपीलार्थी ने बिना किसी कारण के बच्चों के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था।प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार करते हुए कि बेटी मेघा का जन्म अपीलार्थी के साथ उसकी शादी से हुआ था, आरोप लगाया था कि अपीलार्थी नं। 2 मास्टर रचित उनका जैविक पुत्र नहीं था।

/

/

5) पारिवारिक न्यायालय ने दिनांकित 15.07.2014 के आदेश के माध्यम से रुपये का अंतरिम रखरखाव भत्ता प्रदान किया था। 40, 000/- प्रति माह अपीलार्थियों के पक्ष में, हालांकि, बेटी मेघा के बहुमत प्राप्त करने के बाद, उसे कोई अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने परिवार न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था जिसमें उसके इस आरोप की पुष्टि करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण का अनुरोध किया गया था कि बेटा रचित उसका जैविक बेटा नहीं था, हालाँकि उसका आवेदन परिवार

न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2014 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। यह आगे प्रतीत होता है कि परिवार न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ गिरफ्तारी के सशर्त वारंट जारी करने के बावजूद, वह अदालत में पेश होने और अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा था, और इसलिए दिनांकित 16.07.2015 आदेश के अनुसार उसका बचाव भी रद्द कर दिया गया था।प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन दायर करके परिवार न्यायालय द्वारा पारित तीनों आदेशों को चुनौती दी थी।

/

/

/

913

अंजु गर्ग और ए. एन. आर. बनामदीपाक कुमार गर्ग [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

हालाँकि, न्यायालय ने उक्त कार्यवाही में से किसी में भी, उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई थी।इसलिए, अपीलार्थी-पत्नी ने अपनी याचिका के समर्थन में अन्य 04 गवाहों के साथ खुद की जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, परिवार न्यायालय ने उक्त साक्ष्य की सराहना करने के बाद अपीलार्थी नं.1 और उसकी बेटी, और रुपये का रखरखाव भत्ता प्रदान करना। 6, 000/- प्रति माह अपीलार्थी सं.2 (मूल आवेदक संख्या 3)।जैसा कि पहले कहा गया है, इससे व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन को प्राथमिकता दी थी, जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

/

6) एल. डी. के अनुरोध पर यह न्यायालय ।पक्षों के वकील ने मामले को निपटारे की संभावना का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेजा था, हालांकि, यह विफल होने के बाद, इस न्यायालय ने 17.08.2022 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः-

/

“पक्षकारसभक विद्वान वकील द्वारा ई इंगित कयल गेल अछि जे निपटारक प्रयास सफल नहि भेल अछि।इसलिए**,** हमने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है।

/

प्रस्तुतियों के दौरान**,** याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने एक प्रासंगिक बिंदु बनाया है कि प्रतिवादी**-**पति ने वास्तव में याचिकाकर्ता संख्या **1** के खिलाफ व्यक्तिगत प्रकृति का आरोप

लगाया है, विशेष रूप से बेटे के जन्म के संदर्भ में, और इसलिए, उसे अलग रहने में अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

/

हमने इस प्रकार की गई दलीलों पर ध्यान दिया है और प्रतिवादी के विद्वान वकील से प्रश्न किया है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता संख्या **1** अलग रहने में उचित प्रतीत होती है और यदि ऐसा है, तो भरण-पोषण का दावा करने के उसके अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील अपने निर्देशों को पूरा करने और प्रत्यर्थी को उचित रूप से सलाह देने के लिए समय की प्रार्थना करता है।

/

/

समय, जैसा कि प्रार्थना की जाती है, की अनुज्ञात है। "

7) इसके बाद न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रत्यर्थी को भी सुना जो 16.09.2022 पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।

/

8) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी के आचरण की सराहना किए बिना बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आक्षेपित आदेश पारित किया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी-पत्नी के बयान, जिसने गवाह के बक्से में कदम रखा था, और उसके द्वारा जांचे गए अन्य गवाहों के बयान को भी चुनौती नहीं दी गई थी, क्योंकि परिवार न्यायालय ने गवाहों से जिरह करने के प्रतिवादी के अधिकार को बंद कर दिया था और इसलिए, परिवार न्यायालय के लिए अपीलार्थी-पत्नी के बयान पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था जो उसने शपथ पर कहा था।हालाँकि, परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील की सभी मौखिक प्रस्तुतियों को स्वीकार कर लिया, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड पर कोई सबूत के बिना, और अपीलार्थी-पत्नी के रखरखाव आवेदन को अस्वीकार कर दिया, और उच्च न्यायालय ने भी गलती से परिवार न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की पुष्टि की। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने हालांकि प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी-पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के बच्चों के साथ वैवाहिक घर छोड़ दिया था और यह साबित करने में विफल रही थी

कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ थी।उन्होंने आगे कहा कि हालांकि प्रतिवादी के पास एक पार्टी प्लॉट है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।उनके अनुसार, दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

/

/

/

9) शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 की कल्पना एक महिला की पीड़ा, पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए की गई थी, जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि उसे अपना और बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके, जैसा कि इस न्यायालय ने भुवन मोहन सिंह बनाम मामले में कहा था। मीना और ओआरएस। 1.उक्त मामले में इस न्यायालय ने पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद, विधि के सिद्धांत को दोहराया है कि धारा 125 Cr.P.C के अंतर्गत कार्यवाही से न्यायालय को कैसे निपटना है।यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

/

/

"दुख्तर जहाँ बनाम मोहम्मद में।फारूक **[(1987) 1** एस**.** सी**.** सी**. 624:1987** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 237]** न्यायालय ने राय दी किः**(**एस**.** सी**.** सी**.** पी**. 631,** पैरा **16)**

/

16. "... [संहिता की**]** धारा **125** के अंतर्गत कार्यवाही**,** यह याद रखना चाहिए**,** एक संक्षिप्त प्रकृति की होती है और इसका उद्देश्य बेसहारा पत्नियों और बच्चों को सक्षम बनाना है।

/

1 (2015) 6 एससीसी 353 ए

915

अंजु गर्ग और ए. एन. आर. बनामदीपाक कुमार गर्ग [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

चाहे वे वैध हों या अवैध**,** ताकि शीघ्रता से रखरखाव प्राप्त किया जा सके। **"**

8. विमला **(**के**.)** बनाम वीरास्वामी **(**के**.) [(1991) 2** एस**.** सी**.** सी**. 375:1991** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 442]** ने संहिता की धारा **125** के अंतर्गत मूल उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा किः**(**एस**.** सी**.** सी**.** पी**. 378,** पैरा **3)**

/

3. "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **125** का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य भटकाव और निर्धनता को रोकना है।यह परित्यक्त पत्नी को भोजन**,** कपड़े और आश्रय की आपूर्ति के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है। "

/

9. कीर्तिकांत डी**.** वडोदरा बनाम गुजरात राज्य **[(1996) 4** एस**.** सी**.** सी**. 479** मामले में दो**-**न्यायाधीशों की पीठः**1996** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 762]** ने संहिता की धारा **125** के पीछे के प्रमुख उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए फैसला सुनाया किः**(**एस**.** सी**.** सी**.** पी**. 489,** पैरा **15)**

/

15. "... संहिता की धारा **125** में निहित प्रावधान के दायरे और दायरे से निपटने के दौरान**,** यह ध्यान में रखना होगा कि प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य महिला**,** बच्चे और कमजोर माता**-**पिता आदि को सामाजिक न्याय देना है और उन लोगों को मजबूर करके निर्धनता और भटकाव को रोकना है जो उन लोगों का समर्थन कर सकते हैं जो अपना भरण**-**पोषण करने में असमर्थ हैं लेकिन समर्थन के लिए नैतिक दावा करते हैं।धारा **125** के प्रावधान उन महिलाओं**,** बच्चों और बेसहारा माता**-**पिता को त्वरित उपचार प्रदान करते हैं जो संकट में हैं। धारा **125** के प्रावधानों का उद्देश्य इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना है।धारा **125** में निहित परोपकारी प्रावधानों के पीछे प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि पत्नी**,** बच्चे और माता**-**पिता को संकट**,** अभाव और भुखमरी की असहाय स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। "

/

/

10. चतुर्भुज बनाम सीता बाई **[(2008) 2** एस**.** सी**.** सी**. 316:(2008) 1** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** वी**.) 547:(2008) 1** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 356]** ने न्यायालय की कानूनी स्थिति को दोहराते हुए कहाः**(**एस**.** सी**.** सी**.** पी**. 320,** पैरा **6)**

/

6. "... धारा **125** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और जैसा कि इस न्यायालय ने कैप्टन में उल्लेख किया है।रमेश चंदर

/

916 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

कौशल बनाम वीणा कौशल **[(1978) 4** एस**.** सी**.** सी**. 70:1978** एस**.** सी**.** सी**.** (सी**.** आर**.** आई**.) 508]** भारत के संविधान के अनुच्छेद **39** द्वारा प्रबलित अनुच्छेद **15 (3)** के संवैधानिक दायरे में आता है।इसका उद्देश्य एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य भटकाव और निर्धनता को रोकना है।यह परित्यक्त पत्नी को भोजन**,** कपड़े और आश्रय की आपूर्ति के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है।यह अपनी पत्नी**,** बच्चों और माता**-**पिता को बनाए रखने के लिए एक पुरुष के मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाता है जब वे खुद को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं।उपरोक्त स्थिति पर प्रकाश डाला गया था

/

सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य **[(2005)**

3 एससीसी **636:2005** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 787] "**

/

11. हाल ही में नागेंद्रप्पा नाटिकर बनाम नीलम्मा में

[(2014) 14 एससीसी **452:(2015) 1** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**) 407: (2015) 1** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आई**.** वी**.) 346],** यह कहा गया है कि यह सामाजिक कानून का एक हिस्सा है जो एक ऐसी पत्नी को भरण**-**पोषण के माध्यम से संक्षिप्त और त्वरित राहत प्रदान करता है जो अपना और अपने बच्चों का पालन**-**पोषण करने में असमर्थ है।

/

10) इस न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियां की थीं क्योंकि न्यायालय ने महसूस किया था कि उक्त मामले में परिवार न्यायालय ने संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उद्देश्यों और कारणों और प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखे बिना कार्यवाही का संचालन किया था।इस न्यायालय द्वारा भी हाथ में लिए गए मामले में ऐसी धारणा जुटाई गई है।परिवार न्यायालय ने विधि के मूल सिद्धांत की अवहेलना की थी कि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है।पति को शारीरिक श्रम से भी धन अर्जित

करने की आवश्यकता होती है, यदि वह एक सक्षम व्यक्ति है, और कानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर, अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।चतुर्भुज बनाम सीता बाई 2 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रखरखाव की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके उसे जल्दी से दंडित करना है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा तय किया गया है, धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता लिए अधिनियमित है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में भी आता है।

/

/

/

11) तत्काल मामले में परिवार न्यायालय ने न केवल उपरोक्त तय की गई कानूनी स्थिति पर अधिक ध्यान दिया और उसकी अवहेलना की, बल्कि आगे भी बढ़ा।

2 (2008) 2 एससीसी 316 ए

/

917

अंजु गर्ग और ए. एन. आर. बनामदीपाक कुमार गर्ग [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

पूरी तरह से विकृत तरीके से कार्यवाही के साथ।यह तथ्य कि अपीलार्थी-मूल आवेदक के गवाहों से जिरह करने का प्रत्यर्थी का अधिकार समाप्त हो गया था, क्योंकि वह वारंट जारी होने के बावजूद परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा था, स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि उसे अपने परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं था और न ही उसे न्यायालय या विधि के लिए कोई सम्मान था।अपीलार्थी-पत्नी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में लगाए गए आरोपों को चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, परिवार न्यायालय के लिए उसके कथन पर अविश्वास करने और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई मौखिक दलीलों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विवाद करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर किसी भी साक्ष्य के अभाव में, परिवार न्यायालय प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की मौखिक प्रस्तुतियों पर विश्वास करते हुए आदेश पारित नहीं कर सकता था।उसने स्पष्ट रूप से बताया था कि कैसे उसे प्रतिवादी द्वारा परेशान किया गया और क्रूरता का सामना करना पड़ा, जिसने उसे अपने बच्चों के साथ वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर कर

दिया था, और कैसे प्रतिवादी उसे और उसके बच्चों को बनाए रखने में विफल और उपेक्षित रहा था।उसने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके यह भी साबित किया था कि उसके पिता ने प्रतिवादी को उसके व्यवसाय में मदद करने के लिए समय-समय पर पैसे दिए थे।भले ही प्रत्यर्थी द्वारा दहेज की मांग के आरोपों पर विश्वास नहीं किया गया था, यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि अपीलार्थी-पत्नी के पिता द्वारा प्रत्यर्थी को पैसे का भुगतान किया जा रहा था, जो उसके आरोप की पुष्टि करता है कि प्रत्यर्थी अपने पिता से पैसे की मांग कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था।गलती करने वाले प्रतिवादी ने यह आरोप लगाते हुए उसकी पवित्रता पर सवाल उठाया था कि रचित उसका जैविक पुत्र नहीं था।उनके इस तरह के निराधार आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था।डीएनए परीक्षण के लिए उनके आवेदन को भी परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया था।बेशक, परिवार न्यायालय ने जहाँ तक अपीलार्थी नं.2-बेटा चिंतित था, फिर भी उसने अपीलार्थी-पत्नी को भरण-पोषण नहीं देकर खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया था।

/

/

/

/

/

12) परिवार न्यायालय के इस तरह के गलत और विकृत आदेश की दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही अनुचित आदेश पारित करके पुष्टि आक्षेपित थी।उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए आक्षेपित आदेश को बहुत ही लापरवाही से पारित कर दिया।यह न्यायालय मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज देता, हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला पिछले चार वर्षों से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, और इसे वापस भेजने से कार्यवाही में और देरी होगी, इस न्यायालय ने इस आदेश को पारित करना उचित समझा।

/

/

13) यद्यपि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा और स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि उसका पक्ष व्यवसाय अब बंद हो गया है, न्यायालय न तो प्रभावित है और न ही इस तरह की दलीलों को स्वीकार करने के लिए तैयार है।प्रत्यर्थी एक सक्षम होने के नाते, वह वैध साधनों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए बाध्य है।परिवार न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-पत्नी के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि यद्यपि प्रतिवादी के पास आय का पर्याप्त स्रोत था और वह सक्षम था, लेकिन वह अपीलार्थी को बनाए रखने में विफल रहा और उसकी उपेक्षा की।तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी-पत्नी को प्रति माह 1,000 रुपये के रखरखाव भत्ते के अलावा 1,000 रुपये का रखरखाव भत्ता देना उचित समझते हैं। 6, 000/- परिवार न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सं. 2-बेटा।

/

/

14) तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी रुपये की रखरखाव राशि का भुगतान करेगा। 10, 000/- प्रति माह अपीलार्थी-पत्नी को परिवार न्यायालय के समक्ष उसकी भरण-पोषण याचिका दायर करने की तारीख से।बकाया राशि की पूरी राशि प्रत्यर्थी द्वारा पहले से ही भुगतान या जमा की गई राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद आज से आठ सप्ताह के भीतर परिवार न्यायालय में जमा की जाएगी।

/

15) अपील को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/